राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–679/2014/भीलवाडा

मै0 राकेश राज जैन
c/o 22 एमटीएम, आर.के.कॉलोनी,
भीलवाड़ा। ...अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वर्क्स एडं लीजिंग टैक्स, भीलवाडा
2. उपायुक्त (अपील्स),
   भीलवाडा ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 43/वेट/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वर्क्स एंड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु पारित आदेश दिनांक 15.05.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रू. 15,897/– को विवादित करने पर अपील प्रतिप्रेषित की है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवसायी वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर है तथा कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2011–12 हेतु कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.05.2013 पारित किया। व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि उसे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खरीद में वृद्धि करते हुये करारोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा व्यवसायी द्वारा घोषित बिक्री में वृद्धि करने से पूर्व विस्तृत एवं विशिष्ट नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिया है जिसके विरूद्व अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

लगातार.....2

लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2011–12 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

7. अपील में मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2011–12 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2014 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 24.05.2013 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है। खरीद में वृद्धि के संबंध में सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य